

mail

स्पीड पोस्ट

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/नियमन/बी-6/हैफेड/211/ 2930

भोपाल, दिनांक 12/07/2023

प्रति,

संयुक्त संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

आंचलिक कार्यालय ..*द.म.ब.*... (समस्त)

विषय:- हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक एस.एल./2020/17 दिनांक 13/5/2022 की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक एस.एल./2020/17 दिनांक 13/5/2022 की आगामी 4 वर्षों के लिए बढ़ाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 की शर्त क्रमांक 10(1) उक्त कालावधि में हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) के द्वारा प्रसुविधाओं का सृजन की वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मंडी सचिवों से प्राप्त किया जाकर 03 दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

12/07/23
संयुक्त संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/नियमन/बी-6/हैफेड/211/ 2931

भोपाल, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि :-

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति(समस्त)। आपको निर्देशित किया जाता है कि हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) के द्वारा के द्वारा प्रसुविधाओं का सृजन की वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन, आंचलिक कार्यालय के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराये।

12/07/23
संयुक्त संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल